कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्र संख्या– 2740 / 33-1 दिनांक, मिर्जापुर, मार्च 25, 2021.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर।

विषयः उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लि0 वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग में 98.28 हे0 आरक्षित वन भूमि, ओबरा वन प्रमाग में 113.048 हे0 आरक्षित वन भूमि, सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79 हे0 आरक्षित वन भूमि, मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग में 54.652 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल प्रभावित 319.28 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना लीज पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः 1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1698/11–सी/एफ0पी0/यू0पी0/ट्रांस/32650/2018 दिनांक 14–1–2021.

2–अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लि0 हाइडिल कालोनी, गाजीपुर का पत्रांक 243/वि0प्रे0ख0–गा0 दिनांक 15–02–2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में संदर्भगत पत्र सं0–1 द्वारा कैमूर वन्य जीव प्रभाग से सम्बन्धित दर्शायी गयी आपत्तियों/कमियों का निराकरण करते हुये आख्या अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लि0 हाइडिल कालोनी, गाजीपुर द्वारा संदर्भगत पत्र सं0–2 द्वारा प्रेषित की गई है, जिसे समेकित करते हुये आख्या निम्नवत है :–

| क्रमांक | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की बचनबद्धता संलग्न है, किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार पारेषण लाइन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें। | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की बचनबद्धता को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है। |
| 2 | प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक 343/11–सी दिनांक 14–8–2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। | मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11–सी दि0 14–8–2020 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 3 | परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाइन भाग–2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण आनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से डिलिट करें। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित संशोधित लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है। |
| 4 | इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु गणना में हरियाली घनत्व गलत अंकित किया गया है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर आनलाइन अपलोड करें। | एन0पी0वी0 की गणना में हरियाली घनत्व सही अंकित कर आनलाइन अपलोड कर दिया गया है। |

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 5 | प्रस्ताव में सेन्चुरी/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। | सेन्चुरी/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। |
| 6 | मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। | महोदय के स्तर से होना है। |
| 7 | मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर के द्वारा भाग-3 में संस्तुति नहीं की गयी है तथा आनलाइन भाग-2 में अपलोड भी नहीं है। अतः मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर की संस्तुति सहित भाग-3 प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाइन अपलोड करें। | महोदय के स्तर से होना है। |
| 8 | रेनुकूट वन प्रभाग में उल्लघंन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु कैमूर वन्य जीव प्रभाग में संलग्न नहीं किया गया है। | कैमूर वन्य जीव प्रभाग से सम्बन्धित दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है। |
| 9 | उल्लघंन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की बचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है। | भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि की देयता के सम्बन्ध में लगायी जाने वाली बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। पुनः प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है। |

बिन्दु सं० 6 व 7 की अपेक्षित रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि संशोधित प्रस्ताव हेतु नोडल/प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,मीरजापुर।

संख्या- 2740 / 33-1 समदिनांक।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लि0 हाइडिल कालोनी, गाजीपुर को उनके संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,मीरजापुर।

Scanned with CamScanner